न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

नरेन्द्र कुमार बनाम प्रेम देवी

वाद संख्या— 02/19/2023

10.01.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि हाल आराजी के खाता संख्या 19 हाल खसरा संख्या 224/0.23, 226/0.40, 227/0.19, 228/0.65, 229/0.60, 231/0.59, 232/0.40, 234/0.63, 235/0.28, 238/0.14, 239/0.11, 241/0.02, कुल किता 12 कुल रकबा 4.24 है. खाता संख्या 153 खसरा संख्या 233/0.64, 236/0.21 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है, वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर के विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ठ भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिली कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें, न करावें, ना ही प्रार्थी को उक्त आराजी जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य ना करें ना ही उक्त अराजी के हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग व्यवधान उत्पन्न करें। एवं उक्त आराज़ी पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक हैं–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित काश्तकार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को हाल आराजी के खाता संख्या 19 हाल खसरा संख्या 224/0.23, 226/0.40, 227/0.19, 228/0.65, 229/0.60, 231/0.59, 232/0.40, 234/0.63, 235/0.28, 238/0.14, 239/0.11, 241/0.02, कुल किता 12 कुल रकबा 4.24 है. खाता संख्या 153 खसरा संख्या 233/0.64, 236/0.21 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है. वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर से प्रार्थी आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.02.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि विवादित आराजी की आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 16.02.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ जिला–अलवर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	16.07.24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/8/24 को पेश हो। रीडर
	27/8/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 04.11-24 को पेश हो। रीडर
	4/11/24 ..... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 20/11/24 को पेश हो S.D.O.
20/11/24	२०/११/२४ पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। ~~बहस~~ जवाब प्रतिवादीगण का लम्ब किया गया। बहस वकुलाय की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बाद गौर पत्रावली व बहस वकुलाय के गहन आलोकन व मनन के बाद हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 10-01-2023 को दावा ता फैसला खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मुलपात्र 01/21/23 के साथ संलग्न हो। SDO
	13/12/24 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 7/1/25 को पेश हो S.D.O.